संख्या-66/2024/488/001-488-2024-23-10002-001-13-2023

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 13 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (शहरी) के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (अपस्ट्रीम) पर स्थित राप्ती नदी सेतु, एन0एच0-28 (वर्तमान में अन्य जिला मार्ग), राजघाट पर अतिरिक्त दो लेन के नदी सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य तथा जनपद गोरखपुर में लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (डाउन स्ट्रीम) पर स्थित राप्ती नदी सेतु, एन0एच0-28(वर्तमान में अन्य जिला मार्ग), राजघाट पर अतिरिक्त दो लेन के नदी सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-263/नदी सेतु/गोरखपुर क्षेत्र/सेतु-3/2023, दिनांक 24.02.2023 एवं पत्र संख्या-262/नदी सेतु/गोरखपुर क्षेत्र/सेतु-3/2023, दिनांक 24.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (शहरी) के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (अपस्ट्रीम) पर स्थित राप्ती नदी सेतु, एन0एच0-28 (वर्तमान में अन्य जिला मार्ग), राजघाट पर अतिरिक्त दो लेन के नदी सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य तथा जनपद गोरखपुर में लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (डाउन स्ट्रीम) पर स्थित राप्ती नदी सेतु, एन0एच0-28(वर्तमान में अन्य जिला मार्ग), राजघाट पर अतिरिक्त दो लेन के नदी सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य हेतु कुल लागत रू0 22192.60 लाख (रूपये दो अरब इक्कीस करोड़ बानबें लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कॉलम-5 में अनुदान सं0-57 से रू0 6119.94 लाख एवं कॉलम-6 में अंकित अनुदान सं0-83 से रू0 1647.47 लाख अर्थात कॉलम-7 में अंकित कुल धनराशि रू0 7767.41 (रूपये सतहत्तर करोड़ सड़सठ लाख इक्तालिस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (अपस्ट्रीम) पर स्थित राप्ती नदी सेतु, एन0एच0-28 (वर्तमान में अन्य जिला मार्ग), राजघाट पर अतिरिक्त दो लेन के नदी सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य	10392.76	2865.96	771.51	3637.47	सेतु निगम

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA

2		जनपद गोरखपुर में लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (डाउन स्ट्रीम) पर स्थित राप्ती नदी सेतु, एन0एच0-28(वर्तमान में अन्य जिला मार्ग), राजघाट पर अतिरिक्त दो लेन के नदी सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य	11799.84	3253.98	875.96	4129.94	
		योग :-	**22192.60**	**6119.94**	**1647.47**	**7767.41**	

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागाध्यक्ष व संबंधित अधिकारीगण, व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष/ संबंधित अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजनान्तर्गत क्रंमांक-1 हेतु भवनों का मुआवजा (172.50 व0मी0)-रू0 67.65 लाख तथा भूमि अध्याप्ति (0.52हे0) की लागत रू0 3896.97 लाख तथा क्रमांक-2 हेतु भूमि अध्याप्ति (0.63हे0) की लागत रू0 4736.08 लाख प्रस्तावित की गयी है, जिसे यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। भूमि अर्जन की कार्यवाही CALA (कम्पीटेन्ट अथारिटी फॉर

लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(12) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये किया गया है। सेतु निर्माण की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल0 एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन/व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्र्तगत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(15) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(18) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17 मार्च 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 61,19,94,000 (रुपये इकसठ करोड़ उन्नीस लाख चौरानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010405 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 16,47,47,000 (रुपये सोलह करोड़ सैंतालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047890405 शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-1377 -X-2023-24- दिनांक: 13-03-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या-66/2024/488(1)/001-488-2024-23-10002-001-13-2023-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल/जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग ।
4- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- संबंधित कोषाधिकारी ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
11- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
12- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/IN